न्यायालय–अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जिला (भोपाल म.प्र.)

दां.प्रकरण कमांक 12342 / 2021
संस्थित दिनांक–08.10.2021
पंजीयन दिनांक–06.05.2015
CNR.MP0401-002484-2015

01.बी.टी.राजानी आ. स्व. श्री त्रिलोक चंद्र राजानी
आयु–82 वर्ष,
02.श्रीमती कमला देवी राजानी पत्नी बी.टी.राजानी
आयु–82 वर्ष, दोनों निवासीगण–म.नं. 23 सीनियर
एम.आई.जी.बी. सेक्टर इंद्रपुरी, भोपाल म.प्र.
भोपाल म.प्र.

................परिवादी।

–:: वि रू द्ध ::–

01.वंदना सिंह आ. श्री संजय सिंह
आयु–48 वर्ष,
02.संजय सिंह आ. स्व. श्री त्रिलोक सिंह
आयु–वयस्क,
दोनों निवासीगण–म.नं. सी–09, काकड़ा
अभिनव होम्स, नियर मिनाल होम्स, नियर मिनाल होम्स,
अयोध्या बायपास, रोड, भोपाल म.प्र.

..............अभियुक्त।

परिवादी द्वारा अधिवक्ता	श्री दीपक जोधानी
अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता	श्री अशोक गुप्ता

प्रकरण का सारणीबद्ध विवरण

चेक का विवरण	**एक चेक क0–000033 राशि 14,92,188/–रूपये, दिनांक 31.07.2021, एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा अरेरा कॉलोनी भोपाल**
अनादरण दिनांक	02.08.2021
अनादरण का कारण	**''अपर्याप्त निधि''**
नोटिस दिनांक	19.08.2021
प्राप्ति दिनांक	–
परिवाद प्रस्तुति दिनांक	08.10.2021
न्यायशुल्क	51,000/–रूपए
अपराध विरचना दिनांक	19.09.2022
निर्णय दिनांक	03.08.2026

अभियुक्त का विवरण

अभि. की श्रेणी	**अभि. का नाम**	**गिर. की तारीख**	**जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख**	**अपराध जिनका आरोप है**	**दोषमुक्ति या दोषसिद्धि**	**अधिरोपित दंडादेश**	**धारा–428 द0प्र0सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि**
1.	वंदना सिंह	20.12. 2021	20.12. 2021	परक्राम्य लिखत अधिनियम की	दोषसिद्धि	02 वर्ष का सश्रम कारावास, 357(3) द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रतिकर राशि	–

				धारा 138		21,63,600 / — रूपए एवं व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास तथा 359 द0प्र0सं0 के अंतर्गत 5,000 / —रूपए एवं न्यायशुल्क 51,000 / — रूपए एवं व्यतिक्रम में 15 दिवस का साधारण कारावास	
	संजय सिंह	20.12. 2021	20.12. 2021	परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138	दोषमुक्ति	—	—

—::नि र्ण य::—

(आज दिनांक 03.08.2026 को घोषित

1— अभियुक्तगण **वंदना सिंह, संजय सिंह** पर आरोप है कि उसने परिवादी **कमलादेवी राजानी** को विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु **एक चेक क्र0—000033 राशि 14,92,188/—रूपये, दिनांक 31.07.2021, एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा अरेरा कॉलोनी भोपाल** के भुगतान हेतु परिदत्त किया। उक्त चेक **"अपर्याप्त निधि"** होने के कारण परिवादी को वापस प्राप्त हुए। जिसके संबंध में परिवादी द्वारा प्रेषित लिखित धन राशि की मांग का सूचना पत्र प्राप्त होने के बाबजूद विहित समयावधि में अभियुक्त ने उक्त चेक राशि का भुगतान नहीं किया है, जो कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।

2— परिवाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादीगण के स्वामित्व के भवन डुप्लेक्स क्रं. जी—03, 1055 वर्गफिट स्थित, काकड़ा अभिनव होम्स, नियर मिनाल होम्स, अयोध्या बायपास रोड भोपाल म.प्र. को अभियुक्त क्रं. 01 एवं 02 द्वारा क्रय करने का प्रस्ताव रखा जिसे परिवादी द्वारा अभियुक्त क्रं. 01 व 02 का विक्रय करना तय पाकर प्रतिफल विक्रय राशि 50,00,000/—रूपए में तय पाई गई। अभियुक्तगण द्वारा उक्त संपूर्ण प्रतिफल राशि की उपलब्धता न होने से स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त राशि व बैंक से ऋण प्राप्त करने का बताया गया और जिसके अतिरिक्त 19,42,288/—रूपए प्रतिफल राशि कम होने से उक्त राशि अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा परिवादीगण से यह कह कर उधार मांगे गये कि कुछ माह के अंदर उक्त उधार राशि परिवादीगण को वापस कर दी जायेगी। परिवादीगण अत्याधिक वृद्ध होकर सद्भावी विक्रेता होकर उनके द्वारा अभियुक्त क्रं. 01 प 02 पर विश्वास करते हुए उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया और अभियुक्त क्रं. 01 व 02 को 19,42,288/—रूपए नगद व चेक/बैंक ट्रांसफर द्वारा किश्तो में भुगतान की गई। अभियुक्त क्रं. 01 एवं 02 द्वारा ही दिनांक 13.12.2020 को आपसी सहमति से

इकरारनामा तैयार करा कर तदानुसार परिवादी गण व अभियुक्तगण के हस्ताक्षरों से निष्पादन कराया गया, जिसमें अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा परिवादी गण से उसकी संपत्ति क्रय करने हेतु 19,42,288/–रूपए परिवादी से प्राप्त करना स्वीकार करते हुए उक्त राशि के भुगतान दिनांक 13.12.2020 से 04 माह के अंदर भुगतान करना तय कर जिस हेतु चेक भी दिये जाने का उल्लेख करते हुए अभियुक्त क्रं. 01 व 02 की सहमति से अभियुक्त क्रं. 02 के बैंक खाते स्थित एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा अरेरा कॉलोनी के चेक परिवादी को दिये गये।

3– परिवाद पत्र में आगे उल्लेखित है कि अनुबंध दिनांक 13.12.2020 की कंडिका क्रं. 06 में यह भी तय पाया गया कि अनुबंध निष्पादन के पश्चात अभियुक्त क्रं. 01 व 02 परिवादी द्वारा बिक्रीत संपत्ति के विक्रय का पंजीयन अपने पक्ष में करा लिये जान का उल्लेख करते हुए यह भी तय पाया गया कि उक्त अनुबंध दिनांक 13.12.2020 संपत्ति के पंजीयन पश्चात मान्य होगा। अनुबंध दिनांक 13.12.2020 की कंडिका क्रं. 05 अनुसार अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा अनुबंध दिनांक से 04 माह के अंदर अभियुक्तगण के द्वारा परिवादीगण से ली गई राशि की अदायगी करने के पश्चात ही परिवादीगण तत्काल प्रभाव से अभियुक्त क्रं. 01 व 02 को बिक्रीत संपत्ति का कब्जा तथा मालिकाना हक सौंपने हेतु वचनबद्ध एवं बाध्य होना निर्धारित था। अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा स्वयं के पक्ष में परिवादीगण के स्वामित्व के भवन स्थित डुप्लेक्स क्रं. जी–03, 1055 वर्गफिट स्थित काकड़ा अभिनव होम्स, नियर मिनाल होम्स, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल म.प्र. के विक्रय पत्र दिनांकित 18.12.2020 का पंजीयन दिनांक 23.12.2020 को करा लिया गया, परंतु वास्तविक व भौतिक आधिपत्य परिवादी द्वारा अभियुक्त को नहीं दिया गया क्योंकि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादीगण से उक्त अनुबंध दिनांक 13.12.2020 अंतर्गत व अनुसार प्राप्त राशि का भुगतान किया जाना शेष था।

4– परिवाद पत्र में आगे उल्लेखित है कि विक्रय पत्र के पंजीयन के पश्चात अभियुक्त क्रं. 01 व 02 के द्वारा दिनांक 13.12.2020 के 04 माह के अंदर परिवादी से

प्राप्त राशि 19,42,288 / –रूपए का भुगतान न करते हुए आंशिक 1,00,000 / –रूपए दिनांक 02.03.2021 को एवं 1,00,000 / –रूपए, दिनांक 01.07.2021 को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से परिवादी श्रीमती कमला देवी राजानी के बैंक खाते में की गई और 17,42,288 / –रूपए के भुगतान हेतु दिनांक 31.07.2021 तक की समयावधि में विस्तार करने का परिवादीगण से निवेदन करते हुए पूर्व मे दिये गये चेकों को बैंक में प्रस्तुत न करने को कहा गया, साथ ही समयावधि के विस्तार हेतु दिनांक 30.06.2021 को अभियुक्तगण की सहमति से इकरारनामादिनांक 30.06.2021 को निष्पादित किया गया है। दिनांक 22.07.2021 को 100 व 40,000 / – दिनांक 28.07.2021 को 10,000 / –रूपए दिनांक 29.07.2021 को 10,000 / –रूपए व दिनांक 31.07.2021 को 15,000 / –रूपए का भुगतान परिवादी के बैंक खाते में अभियुक्त कं. 01 व 02 द्वारा किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.07.2021 को अभियुक्त कं. 01 व 02 द्वारा शेष 14,67,188 / –रूपए देय होकर परिवादीगण को भुगतान नहीं की गई है।

5– परिवाद पत्र में आगे उल्लेखित है कि पश्चातवर्ती अनुबंध दिनांक 30.06.2021 अनुसार निर्धारित समयावधि दिनांक 31.07.2021 तक अभियुक्तगण के द्वारा परिवादीगण से प्राप्त राशि में से 14,67,288 / –रूपए का भुगतान नहीं किया गया और जिसके पश्चात उक्त राशि 14,67,288 / –रूपए जिस पर विलंब के कारण 24,900 / –रूपए जोड़ कर कुल 14,92,188 / –रूपए के भुगतान हेतु परिवादी कमला राजानी को अभियुक्त कं. 01 द्वारा दिये गये **एक चेक क0–000033 राशि 14,92,188 / –रूपये, दिनांक 31.07.2021, एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा अरेरा कॉलोनी भोपाल** का प्रदान किया था। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा उक्त प्रदत्त चेक को भुगतान हेतु उसकी बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर **"अपर्याप्त निधि"** की टीप के साथ अनादरित होकर परिवादी को दिनांक 02.08.2021 को वापस प्राप्त हुआ। अनुबंध दिनांक 13.12.2020 अंतर्गत प्रश्नाधीन चेक शामिल होकर एवं समयावधि विस्तार अनुबंध दिनांक

30.06.2021 में परिवादी क्रं. 01 एवं अभियुक्त क्रं .02 भी पक्षकार होकर संव्यवहार संबंधी आवश्यक पक्षकार होकर तदानुसार इस परिवाद में उन्हें संयोजित किया गया है।

6– तत्पश्चात् परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त राशि की मांग हेतु विधिक सूचना पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 19.08.2021 को अभियुक्त के निवास पर एवं व्यावसायिक पते पर प्रेषित कराया गया जो कि अभियुक्त को विधिवत रूप से दिनांक 25.08.2021 को प्राप्त हो गया था, जिसका अभियुक्त ने दिनांक 26.08. 2021 को असत्य आधारों पर उत्तर भिजवाया था। इस प्रकार विधिक सूचना पत्र मिलने के बाबजूद भी अभियुक्त ने न तो विधिक सूचना पत्र का कोई जवाब दिया और न ही उक्त राशि का भुगतान किया। इसलिए परिवादी ने अभियुक्त के विरूद्ध यह परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

7– अभियुक्त पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये–समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध करना अस्वीकार कर प्रतिरक्षा चाही गयी। अभियुक्त ने अभियुक्त परीक्षण में इस आशय का बचाव लिया है कि वह निर्दोष है व उसने रजिस्ट्री के पूर्व ही परिवादी को संपूर्ण राशि प्रदान कर दी थी अब कोई लेन–देन शेष नहीं है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया जाकर अपने बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

8– न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि –

(1) क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन हेतु **एक चेक क0–000033 राशि 14,92,188 / –रूपये, दिनांक 31.07. 2021, एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा अरेरा कॉलोनी भोपाल** का धन के दायित्व निवर्हन के संदाय हेतु परिदत्त किया गया ?

(2) क्या अभियुक्त द्वारा जारी उक्त चेक परिवादी द्वारा विहित अवधि में उसके खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने पर अभियुक्त के अनुरक्षित खाते में **"अपर्याप्त निधि"** होने के कारण अनादरित वापिस किया गया?

(3) क्या परिवादी द्वारा अभियुक्त को समयावधि में विधिक सूचना पत्र प्रेषित किया गया ?

(4) क्या अभियुक्त ने विधिक सूचना पत्र निर्वहन होने के पश्चात भी परिवादी को कोई राशि अदा नहीं की?

(5) दोषसिद्धि एवं दंडादेश, यदि कोई हो ?

—: सकारण निष्कर्ष :—

विचारणीय प्रश्न कमांक—1 एवं 2 का निष्कर्ष एवं आधार—

9— साक्ष्य की श्रृंखला समान होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

10— परिवादी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परिवादी के पक्ष में धारा **139** परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा की जाती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **कृष्ण जनार्दन वि0 दत्तात्रेय जी हेगड़े (2008) 4 एस.सी.सी. 54** अवलोकनीय है जहां प्रतिपादित किया है कि वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व प्रमाणित करने का प्रारंभिक भार परिवादी पर होता है। धारा—**139** परकाम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा के कारण परिवादी का प्रमाण भार का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता, परंतु परिवादी द्वारा प्रारंभिक रूप से ऋण या दायित्व प्रमाणित कर देने पर धारा—139 परकाम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा लेना आज्ञापक है।

11— **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** ने प्रस्तुत परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों का समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि परिवादीगण के स्वामित्व के भवन डुप्लेक्स क्रं. जी—03, 1055 वर्गफिट स्थित, काकड़ा अभिनव होम्स, नियर मिनाल होम्स, अयोध्या बायपास रोड भोपाल म.प्र. को अभियुक्त क्रं. 01 एवं 02 द्वारा क्रय करने का प्रस्ताव रखा जिसे परिवादी द्वारा अभियुक्त क्रं. 01 व 02 का विक्रय करना तय पाकर प्रतिफल विक्रय राशि 50,00,000 / —रूपए में तय पाई गई। अभियुक्तगण द्वारा उक्त संपूर्ण प्रतिफल राशि की उपलब्धता न होने से स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त राशि व बैंक से ऋण प्राप्त करने का बताया गया और जिसके अतिरिक्त 19,42,288 / —रूपए प्रतिफल राशि कम होने से उक्त राशि अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा परिवादीगण से यह कह कर उधार मांगे गये कि कुछ माह के अंदर उक्त उधार राशि परिवादीगण को वापस कर दी जायेगी। परिवादीगण अत्याधिक वृद्ध होकर सद्भावी विक्रेता होकर उनके द्वारा अभियुक्त क्रं. 01 प 02 पर विश्वास करते हुए उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया और अभियुक्त क्रं. 01 व 02 को 19,42,288 / —रूपए नगद व चेक / बैंक ट्रांसफर द्वारा किश्तो में भुगतान की गई।

12— **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** ने आगे अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि अभियुक्त क्रं. 01 एवं 02 द्वारा ही दिनांक 13.12.2020 को आपसी सहमति से इकरारनामा तैयार करा कर तदानुसार परिवादी गण व अभियुक्तगण के हस्ताक्षरों से निष्पादन कराया गया, जिसमें अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा परिवादी गण से उसकी संपत्ति क्रय करने हेतु 19,42,288 / —रूपए परिवादी से प्राप्त करना स्वीकार करते हुए उक्त राशि के भुगतान दिनांक 13.12.2020 से 04 माह के अंदर भुगतान करना तय कर जिस हेतु चेक भी दिये जाने का उल्लेख करते हुए अभियुक्त क्रं. 01 व 02 की सहमति से अभियुक्त क्रं. 02 के बैंक खाते स्थित एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा अरेरा कॉलोनी के चेक परिवादी को दिये गये। अनुबंध दिनांक 13.12.2020 की कंडिका क्रं. 06 में यह भी

तय पाया गया कि अनुबंध निष्पादन के पश्चात अभियुक्त क्रं. 01 व 02 परिवादी द्वारा बिक्रीत संपत्ति के विक्रय का पंजीयन अपने पक्ष में करा लिये जान का उल्लेख करते हुए यह भी तय पाया गया कि उक्त अनुबंध दिनांक 13.12.2020 संपत्ति के पंजीयन पश्चात मान्य होगा।

13— **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** ने आगे अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि अनुबंध दिनांक 13.12.2020 की कंडिका क्रं. 05 अनुसार अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा अनुबंध दिनांक से 04 माह के अंदर अभियुक्तगण के द्वारा परिवादीगण से ली गई राशि की अदायगी करने के पश्चात ही परिवादीगण तत्काल प्रभाव से अभियुक्त क्रं. 01 व 02 को बिक्रीत संपत्ति का कब्जा तथा मालिकाना हक सौंपने हेतु वचनबद्ध एवं बाध्य होना निर्धारित था। अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा स्वयं के पक्ष में परिवादीगण के स्वामित्व के भवन स्थित डुप्लेक्स क्रं. जी—03, 1055 वर्गफिट स्थित काकड़ा अभिनव होम्स, नियर मिनाल होम्स, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल म.प्र. के विक्रय पत्र दिनांकित 18.12.2020 का पंजीयन दिनांक 23.12.2020 को करा लिया गया, परंतु वास्तविक व भौतिक आधिपत्य परिवादी द्वारा अभियुक्त को नहीं दिया गया क्योंकि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादीगण से उक्त अनुबंध दिनांक 13.12.2020 अंतर्गत व अनुसार प्राप्त राशि का भुगतान किया जाना शेष था। विक्रय पत्र के पंजीयन के पश्चात अभियुक्त क्रं. 01 व 02 के द्वारा दिनांक 13.12.2020 के 04 माह के अंदर परिवादी से प्राप्त राशि 19,42,288/—रूपए का भुगतान न करते हुए आंशिक 1,00,000/—रूपए दिनांक 02.03.2021 को एवं 1,00,000/—रूपए, दिनांक 01.07.2021 को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से परिवादी श्रीमती कमला देवी राजानी के बैंक खाते में की गई और 17,42,288/—रूपए के भुगतान हेतु दिनांक 31.07.2021 तक की समयावधि में विस्तार करने का परिवादीगण से निवेदन करते हुए पूर्व मे दिये गये चेकों को बैंक में प्रस्तुत न करने को कहा गया,

साथ ही समयावधि के विस्तार हेतु दिनांक 30.06.2021 को अभियुक्तगण की सहमति से इकरारनामा दिनांक 30.06.2021 को निष्पादित किया गया है।

14— **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** ने आगे अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि दिनांक 22.07.2021 को 100 व 40,000 / — दिनांक 28.07.2021 को 10,000 / —रूपए दिनांक 29.07.2021 को 10,000 / —रूपए व दिनांक 31.07.2021 को 15,000 / —रूपए का भुगतान परिवादी के बैंक खाते में अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.07.2021 को अभियुक्त क्रं. 01 व 02 द्वारा शेष 14,67,188 / —रूपए देय होकर परिवादीगण को भुगतान नहीं की गई है। पश्चातवर्ती अनुबंध दिनांक 30.06.2021 अनुसार निर्धारित समयावधि दिनांक 31.07.2021 तक अभियुक्तगण के द्वारा परिवादीगण से प्राप्त राशि में से 14,67,288 / —रूपए का भुगतान नहीं किया गया और जिसके पश्चात उक्त राशि 14,67,288 / —रूपए जिस पर विलंब के कारण 24,900 / —रूपए जोड़ कर कुल 14,92,188 / —रूपए के भुगतान हेतु परिवादी कमला राजानी को अभियुक्त क्रं. 01 द्वारा दिये गये **एक चेक क0—000033 राशि 14,92,188 / —रूपये, दिनांक 31.07.2021, एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा अरेरा कॉलोनी भोपाल** का प्रदान किया था।

15— परिवादी द्वारा अपनी शपथ पत्रीय साक्ष्य के समर्थन में अभियुक्त द्वारा उसे प्रदान किया गया चेक प्रदर्श पी—01, जमा पर्ची प्र0पी0—02, चेक रिटर्न मेमो प्रदर्श पी—03, इकरारनामा प्र0पी0—04 एवं 05 अभियुक्त को प्रेषित नोटिस प्रदर्श पी—06, प्र0पी0—06 के नोटिस का जवाब प्र0पी0—07, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी—08 एवं 09 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। आरोपी के द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के खंडनस्वरूप अपने समर्थन में प्र0डी0—01 लगायत 06 के दस्तावेज पेश किये गये हैं।

16— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्क के समर्थन में मौखिक तर्क में मुख्यतः यह आपत्ति ली गई कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में

संजय सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है जबकि प्र0पी0—01 के प्रश्नगत चेक पर अभियुक्त संजय सिंह के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं उक्त चेक का खाता संयुक्त खाता भी नहीं है तब संजय सिंह को पक्षकार बनाए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उक्त संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत **क्रिमिनल अपील नं. 1999 (2022)पवन कुमार गोयल वि. स्टेट ऑफ यू.पी. 17 नवंबर 2022** अवलोकनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखे हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

17— उक्त संबंध में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित खाते अपने किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागत्व या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए कोई चेक दिया जाता है और वह चेक खाते पर्याप्त राशि होने के कारण अथवा पहले से ही उस खाते में से किन्हीं अन्य किसी अन्य व्यक्ति को संदाय करने का करार कर दिए जाने के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान किए पुनः लौटा दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और उसे इस अधिनियम के अन्य उपबंध पर तत्प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उतनी अवधि के कारावास से दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा उतनी राशि के जुर्माने जो चेक की राशि के दोगुनी तक की हो सकेगी अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

परंतु इस धारा की कोई बात जब तक लागू नहीं होगी जब तक किः—
क :— वह चेक जारी होने की तिथि से छः माह के अंदर अथवा उसके विधिमान्य रहने की अवधि के अंदर जो भी पूर्व हो, बैंक में पेश नहीं कर दिया जाता,

ख :— चेक के अधीन राशि पाने वाला अथवा सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक यथास्थिति, बैंक से चेक के अनादृत होकर लौटने की तिथि से तीस दिवस के

अंदर चेक के लेखीवाल को शोध्य राशि का संदाय करने के आशय की सूचना नहीं दे देता और,

ग :– लेखीवाल उस सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जो चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला हो अथवा जो सामान्य अनुकम में चेक का धारक हो उस राशि का संदाय करने में असफल नहीं रहता।

18– उपरोक्त विधिक प्रावधानों अनुसार धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत चेक को बैंक में उसके विधिमान्य रहने की अवधि के अंतर्गत भुगतान हेतु प्रस्तुत करना तथा भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक से अनादरित होना आवश्यक है।

19– धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध को घटित करने के लिए चेक के लेखीवाल को धारक के पक्ष में हस्ताक्षरयुक्त चेक उसके खाते या संयुक्त खाते से जारी किया जाना आवश्यक है। धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में आरोपी को दोषसिद्ध किए जाने के लिए सर्वप्रथम लेखीवाल के द्वारा अपने हस्ताक्षरयुक्त चेक संयुक्त खाते से परिवादी को दिया जाना प्रमाणित होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत चेक पर आरोपी संजय सिंह के हस्ताक्षर नहीं होना दर्शित है। उपरोक्त संबंध में परिवादी साक्षी की संपूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने पर उक्त प्र0पी0–01 के प्रश्नगत चेक आरोपी **वंदना सिंह** का बचत खाता होना एवं उनके ही हस्ताक्षर होना दर्शित होता है। इस संबंध में माननीय **न्यायदृष्टांत नितिन खंडेलवाल विरूद्ध मंजुल 2015 (3) एम.पी.एल.जे. 354** भी अवलोकनीय है। अतः उपरोक्त माननीय न्यायदृष्टांत एवं प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार अभियुक्त संजय सिंह के उक्त प्रश्नगत चेक पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण व उसके खाते का नहीं होने के कारण उनका चेक जारी करने हेतु कोई विधिक दायित्व प्रमाणित नहीं होता।

20— उक्त संबंध में परिवादी साक्षी **बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 26 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र0पी0—05 उसके, उसकी पत्नि एवं वंदना सिंह के मध्य निष्पादित हुआ है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0—05 पर अभियुक्त संजय सिंह पक्षकार के रूप में शामिल नहीं है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 27 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्रश्नगत चेक प्र0पी0—01 में वंदना सिंह के ए से ए भाग के हस्ताक्षर तथा अन्य इबारत जिसमें की प्राप्तकर्ता का नाम, धनराशि शब्दों, अंकों में विवरण तथा तिथि शामिल है, अलग—अलग स्याही से लेख की गई है। इस प्रकार परिवादी साक्षी ने ऐसी कोई भी साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त प्र0पी0—01 का प्रश्नगत चेक संयुक्त खाता होना दर्शित होकर आरोपी संजय सिंह के खाते का होना दर्शित हो व उक्त खाता संयुक्त खाता हो। इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त **संजय सिंह** द्वारा परिवादी को किसी ऋण या विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु **प्र0पी0—01** का प्रश्नगत दिया गया हो।

21— अतः ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 की विधि के आलोक में परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत प्रश्नगत चेक **प्र0पी0—01** आरोपी **संजय सिंह** के खाते का एवं हस्ताक्षर प्रमाणित न होने के कारण उसके विरूद्ध धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम का अपराध आकर्षित नहीं होने से उसे धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के संबंध में दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में परिवादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा कि आरोपी **संजय सिंह** के द्वारा **प्रश्नगत चेक प्र0पी0—01** परिवादी को वैध रूप से वसूली योग्य ऋण के भुगतान के उन्मोचन के एवज में दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को धारा—138 परकाम्य लिखत अधिनियम के आरोपित आरोप से

दोषसिद्धि अभिलिखित करने वाली साक्ष्य व दस्तावेजों के अभाव में धारा—138 परकाम्य लिखत अधिनियम के आरोप से अभियुक्त **संजय सिंह आ. स्व. श्री त्रिलोक सिंह आयु—वयस्क, निवासी—म.नं. सी—09, काकड़ा अभिनव होम्स, नियर मिनाल होम्स, नियर मिनाल होम्स, अयोध्या बायपास, रोड, भोपाल म.प्र.** को **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

22— प्रकरण में यह अवलोकनीय है कि यदि शेष अभियुक्त **वंदना सिंह** की ओर से यह बचाव लिया जाता है कि अभियुक्त ने विवादित चेक, विधिक ऋण—विधिक दायित्व के भुगतान हेतु नहीं दिया गया था, तो अभियुक्त को ही इस तथ्य को प्रमाणित करना चाहिये कि विवादित चेक परिवादी के पास कैसे पहुंचा। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अवलोकनीय है, जो यह उपबंधित करती है कि जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है।

23— प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या **प्र0पी0—01 का प्रश्नगत चेक** शेष आरोपी **वंदना सिंह** द्वारा परिवादी को किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदान किया था ? इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मकान नं. जी—3 काकडा अभिनव होम मिनाल रेसीडेंसी के पास, अयोध्या बाय पास रोड, भोपाल उसके व मेरी पत्नि के नाम पर था। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त मकान का सौदा अभियुक्तगण के साथ 50 लाख रूपये में हुआ था। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त मकान का विक्रय पत्र उसने व उसकी पत्नि श्रीमती कमला राजानी ने अभियुक्तगण के पक्ष में दिनांक 23 / 12 / 2020 को करवा दी है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 12 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विक्रय पत्र दिनांक 23 / 12 / 2020 में 50 लाख रूपया विभिन्न दिनांक को उसे व मेरी पत्नी को प्राप्त होना लेख किया गया है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23 / 12 / 2020 में मकान नं. जी—3

का कब्जा अभियुक्तगण को दिया जाना लेख किया गया है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 13 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा थाना अयोध्या नगर, भोपाल में अभियुक्तगण के विरूद्ध मकान के कब्जे के संबंध में शिकायत की गई थी।

24— **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 14 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसके व उसकी पत्नि के विरूद्ध सिविल न्यायालय में प्रकरण कं. आर.सी.एस. 588ए/2021 मकान नं. जी—3 में उनका कब्जा सुरक्षित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा उक्त प्रकरण में एक काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 15 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि काउंटर क्लेम में उसके द्वारा अनुबंध दिनांक 13/12/2020 एवं सहमति पत्र/इकरारनामा दिनांक 30/06/2021 के आधार पर राशि 14,92,188/— रूपये प्राप्त न होने के आधार पर कब्जा सुरक्षित करने और विकय पत्र दिनांक 23/12/2020 को शून्य करने की प्रार्थन की गई थी। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में काउंटर क्लेम खारिज हो गया है। इस सुझाव से इंकार किया है कि काउंटर क्लेम निरस्त हो जाने के कारण मै प्र0पी0—04 व प्र0पी0—05 के आधार पर किसी भी प्रकार की सहायता न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

25— **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 16 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि उसके द्वारा मकान नं. जी—3 के विकय की राशि के लेन—देन के संबंध में है। स्वतः कहा कि उसे अनुबंध के अनुसार मकान की तयशुदा विकय मूल्य प्राप्त नहीं हुआ। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 17 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को

स्वीकार किया है कि प्र0पी0—01 का चेक कमला राजानी के नाम का है। स्वतः कहा कि उसके साथ ज्वाईंट एकाउंट है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0—01 के चेक पर उसका नाम नहीं लिखा है प्र0पी0—02 पर उसका नाम नहीं लिखा है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0—02 पर उसका एवं कमला राजानी का नाम ज्वाईंट एकाउंट होल्डर के रूप में नहीं लिखा है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0—03 उसके नाम से जारी नहीं है व प्र0पी0—03 के पीछे जहां पर चेक अनादरण के कारण 1 से लगायत 22 तक अंकित है वहां पर भी बैंक द्वारा उसका नाम अंकित नहीं है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0—03 कमला राजानी के नाम से बैंक द्वारा जारी किया गया है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं. 18 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे कमला देवी राजानी ने वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत करने तथा प्रकरण में कार्यवाही किये जाने के संबंध में कोई अधिकार पत्र नहीं दिया गया है। स्वतः कहा कि उसके एवं उसकी पत्नि तथा अभियुक्तगण के मध्य संयुक्त रूप संव्यवहार किया गया था, इस कारण से अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे कमला देवी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं दस्तावेजों को प्रदर्शित करने, प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

26— **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1) ने** अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं. 23 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0—04 के अनुबंध के कंडिका क्रं. 03 में चार चेक वंदना सिंह द्वारा देना बताया गया है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया गया है कि उक्त चैकों में से एक चैक क्रमांक 000033 वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत चेक है। स्वतः कहा कि अभियुक्तगण द्वारा बाकी चेक वापस ले लिये थे। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि बाकी के तीन चेक अभियुक्तगण द्वारा वापस लिये जाने वाली बात धारा 145 के शपथ पत्र एवं परिवाद पत्र में लेख नहीं है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं. 24 में बचाव पक्ष के

इस सुझाव से इंकार किया है कि संपूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाने के पश्चात उपरोक्त चारों चेक उसके द्वारा अभियुक्तगण को वापस किये जाने थे। इस सुझाव से इंकार किया है कि संपूर्ण विक्रय मूल्य का भुगतान होने के पश्चात कब्जा अभियुक्तगण को सौंपा जाना था। इस सुझाव से इंकार किया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23 / 12 / 2020 में संपूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त होकर कब्जा दिया जाना लेख किया गया है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं. 25 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे संपूर्ण धनराशि प्राप्त हो गयी और उसके द्वारा अभियुक्तगण को म.नं. जी—3 का कब्जा सौप दिया गया है। इस सुझाव से इंकार किया है कि म.नं. जी—3 का विक्रय पत्र रजिस्टर्ड होने के पश्चात प्र0पी0—04 की उपयोगिता समाप्त हो गयी है।

27— **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं. 25 में इस सुझाव से इंकार किया है कि रजिस्ट्री दिनांक 23 / 12 / 2020 निष्पादित होने के पश्चात उसे प्र0पी0—04 में वर्णित चारो चेक अभियुक्तगण को वापस करने का उत्तरदायित्व था। इस सुझाव से इंकार किया है कि रजिस्ट्री होने के पश्चात अभियुक्तगण द्वारा उससे उपरोक्त चारो चेक वापस मांगे गये। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण को चेक वापस न किये जाकर टालामटोली की गई व उनके द्वारा अभियुक्तगण से यह कहा गया है कि उसकी बेटी जो कि विदेश में रहती है उसके पास चारो चेक रखे है जब वह वापस आयेगी तब चेक वापस दे देंगे। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उनके द्वारा अभियुक्तगण से कहा गया है कि अब तो मकान की रजिस्ट्री की गई है उनके द्वारा चेकों का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी बातों पर विश्वास करते हुये उपरोक्त चारों चेक उससे मांगना बंद कर दिये। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं. 26 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र0पी0—05 उसके, उसकी पत्नि एवं वंदना सिंह के मध्य निष्पादित हुआ है। इस सुझाव को भी स्वीकार

किया है कि प्र0पी0—05 पर अभियुक्त संजय सिंह पक्षकार के रूप में शामिल नहीं है। इस सुझाव से इंकार किया है कि प्र0पी0—05 के सी से सी भाग पर वंदना सिंह के हस्ताक्षर नहीं है।

28— **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0—1)** ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 27 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र0पी0—05 में वर्तमान प्रकरण के प्रश्नगत चेक का विवरण तथा उक्त चेक में वर्णित धनराशि के संबंध में लेख नहीं है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0—05 में प्रश्नगत चेक में वर्णित धनराशि 14,92,188 /— रूपये के संबंध में लेख नहीं किया गया है। इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने चारों चेक गारंटी के तौर पर लिये थे। इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा प्र0पी0—04 के चरण कं. 03 में वर्णित प्रश्नतग चेक सहित चारों चेक वंदना सिंह के हस्ताक्षर करवाकर कोरे प्राप्त किये थे। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्रश्नगत चेक प्र0पी0—01 में वंदना सिंह के ए से ए भाग के हस्ताक्षर तथा अन्य इबारत जिसमें की प्राप्तकर्ता का नाम, धनराशि शब्दों, अंकों में विवरण तथा तिथि शामिल है, अलग—अलग स्याही से लेख की गई है। इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा गारंटी के चेक का दुरूपयोग करते हुये प्रश्नगत चेक पर प्राप्तकर्ता का नाम, अंको एवं शब्दों में धनराशि का विवरण तथा दिनांक अभियुक्तगण की जानकारी के बिना स्वयं लेख की है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका कं. 28 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसकी पत्नि एवं उसके विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा सिविल प्रकरण आरसीएस कं. 588ए / 2021 प्रस्तुत किया है, जिसके वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0—01 है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में उसके द्वारा जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया था, काउंटर क्लेम की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0—02 है व उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा काउंटर क्लेम पर दिनांक 02 / 02 / 2023 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के मूल्यांकन 50 लाख रूपये पर न्यायशुल्क

अदा किये जाने हेतु आदेशित किया गया था, उक्त आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0–03 है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 02/02/2023 के पालन में न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किया। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि न्यायशुल्क प्रस्तुत न किये जाने के कारण न्यायालय द्वारा काउंटर क्लेम निरस्त कर दिया गया था। उक्त सिविल प्रकरण में उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0–04 है। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0–05 है। काउंटर क्लेम के अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0–06 है।

29– **परिवादी बी.टी.राजानी (परि0सा0–1)** ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं. 29 में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके, उसकी पत्नी एवं अभियुक्तगण के मध्य 14,67,288/–रूपये लिये जाने का कोई हिसाब नहीं है। इस सुझाव से इंकार किया है कि 24,900/–रूपये किस हिसाब से जोडे गये हैं इसके संबंध में भी वह आज नहीं बता सकता है। इस सुझाव से इंकार किया है कि 14,92,188/– रूपये की राशि उसके एवं उसकी पत्नि के द्वारा अपनी मनमर्जी से लेख की गई है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं. 30 में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा प्रश्नगत चेक का दुरूपयोग किया जाकर उस पर अपनी मर्जी से धनराशि अंकित की गई। इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण अवैधानिक रूप से धनराशि प्राप्त किये जाने के आशय से चेक पर धनराशि अंकित कर उसे अनादरित कराया। इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्तगण का प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि अदा करने का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। साक्षी ने अपनी/तिपरीक्षण की कंडिका क्रं. 31 में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि प्र0पी0–04 एवं प्र0पी0–05 के आधार पर भी वह प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि अभियुक्तगण से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व इस सुझाव से इंकार किया है कि

म.नं. जी—3 की संपूर्ण विक्रय राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि अदा किये जाने का उत्तरादायित्व अभियुक्तगण का नहीं है।

30— बचाव पक्ष द्वारा परिवादी प्रतिपरीक्षण में मुख्य रूप से बचाव लिया गया कि उपरोक्त परिवाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत प्र0पी0—01 का चेक कमला राजानी के नाम का है व प्रकरण में कमला राजानी की साक्ष्य अंकित नहीं कराई गयी है। कमला देवी राजानी ने वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत करने तथा प्रकरण में कार्यवाही किये जाने के संबंध में कोई अधिकार पत्र भी नहीं दिया गया है। उक्त संबंध में उल्लेखित जाता है कि परिवाद पत्र परिवादीगण बी.टी राजानी एवं उनकी पत्नी कमला देवी राजानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा परिवादीगण स्वतंत्र है कि किसकी साक्ष्य करानी है तथा परिवादीगण एवं अभियुक्तगण के साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित है कि जो भी लेन—देन उभयपक्ष के मध्य हुआ है उसकी जानकारी परिवादी बी.टी.राजानी को भी है।

31— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अंतिम तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **रजनी वि. भाग्यवतीबाई 2012 (2) एम.पी.एल.जे. 536, नितिन वि. मंजुल 2015 (3) एम.पी.एल.जे. 354, विनोद वि. शिवाजीराव 2016 (4) एम.पी.एल.जे.53, टी.पी.मुरुगन वि. बोजन 2019 (2) एम.पी.एल.जे. 20, ओमप्रकाश वि. लक्ष्मीनारायण एवं अन्य 2014 (3) एम.पी.एल.जे. 16** प्रस्तुत कर आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त न्यायदृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण से समर्थित नहीं होने के कारण बचाव पक्ष को उक्त न्यायदृष्टांतों का लाभ देना उचित प्रकट नहीं होता है। परिणामस्वरूप बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायदृष्टांत स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

32— अतः इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त समस्त साक्ष्य व परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। परिवादी साक्षी की साक्ष्य में आरोपी की ओर से खंडनस्वरूप ऐसी कोई

विश्वसनीय साक्ष्य नहीं आई, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आरोपी वंदना सिंह की ओर से प्रश्नगत चैक परिवादी को नहीं दिया गया था। ऐसी दशा में यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने परिवादी के स्वामित्व के भवन के खरीदी के एवज में दी गई राशि के एवज में उक्त राशि को चुकाने के संबंध में किसी विधिक ऋण या प्रतिभूति के दायित्व के अधीन ही आरोपी द्वारा परिवादी को उक्त प्रश्नाधीन चेक जारी किया गया था।.

33— अभियुक्त की ओर से अपने अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में यह बचाव लिया गया कि वह निर्दोष है व उसने रजिस्ट्री के पूर्व ही परिवादी को संपूर्ण राशि प्रदान कर दी थी अब कोई लेन—देन शेष नहीं है। उक्त संबंध में प्रकरण में परिवादी साक्षी की संपूर्ण साक्ष्य पर विचार किया जावे तो बचाव पक्ष द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि उसने परिवादी को अब कोई राशि देना शेष न हो यदि वास्तव में कोई लेन—देन शेष न होता और उसके चेक का दुरूपयोग कर झूठा प्रकरण प्रस्तुत किया गया होता तो इस संबंध में अवश्य ही अभियुक्त द्वारा संबंधित थाने में या संबंधित अधिकारियों के समक्ष लिखित शिकायत की जाती, किन्तु प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा तत्संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि प्र0डी0—01 लगायत 06 के दस्तावेज पेश किये गये हैं, किंतु उक्त दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता है प्र0पी0—01 के प्रश्नगत चेक की राशि की अदायगी कर दी गई हो। बचाव पक्ष द्वारा प्रकरण में विवादित चेक प्र0पी0—01 में अभियुक्त के हस्ताक्षर को प्रश्नगत नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति में अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

34— अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य की विवेचना से अभियुक्त **वंदना सिंह** के द्वारा चेक उसके हस्ताक्षर से जारी किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है और प्रश्नगत जारी चेक अभियुक्त ने परिवादी के स्वामित्व के भवन के खरीदी के एवज में दी गई राशि के एवज में उक्त राशि को चुकाने के संबंध में किसी विधिक ऋण या प्रतिभूति के दायित्व के अधीन ही परिदत्त किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में यह दर्शित होता है कि अभियुक्त **वंदना सिंह** ने चेक तत्समय विद्यमान

विधिक ऋण एवं दायित्व के भुगतान के एवज में जारी किया था। उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से परिवादी चेक का सम्यक् अनुक्रम में धारक होना भी प्रकट होता है।

35— परिवादी **बी.टी.राजानी (प0सा0—1)** ने अभियुक्त द्वारा प्रदत्त चेक **प्र0पी0—01** को समाशोधन हेतु प्रस्तुत करना व उक्त चेक **"अपर्याप्त निधि"** होने के कारण दिनांक **02.08.2021** को बैंक द्वारा मय मेमो के बिना भुगतान वापस करना बताया है। उक्त संबंध में परिवादी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में चेक अनादरण मेमो **प्र0पी0—03** प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों का कोई विशिष्ट खंडन अभियुक्त की ओर से नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है कि चेक प्रस्तुति दिनांक को उसके खाते में पर्याप्त राशि विद्यमान थी। अतः प्रकरण में परिवादी द्वारा चेक समयावधि में प्रस्तुत करने व अभियुक्त के खाते में **"अपर्याप्त निधि"** होने के कारण चेक अनादरण का तथ्य **अखंडनीय** रहा है।

36— परिणामतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य की विवेचना से प्रकट है कि परिवादी ने उसके द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित किया है कि अभियुक्तगण ने परिवादी से उक्त चेक में वर्णित राशि के भुगतान हेतु प्रश्नगत चेक प्रदान किया गया था, जिसका अभियुक्त की ओर से कोई विशिष्ट खंडन नहीं किया गया है। अभियुक्त की ओर से परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को कोई विशिष्ट चुनौती नहीं दी गयी है और न ही अभियुक्त ने चेक पर उसके हस्ताक्षर का खंडन किया है। इस प्रकार अभियुक्त उसके विरूद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 एवं धारा 118 के अंतर्गत की गयी उपधारणा का खंडन करने में पूर्ण रूप से **असफल** रहा है।

37— परिणामतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचना से यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु **एक चेक क0—000033 राशि 14,92,188 / —रूपये, दिनांक 31.07.2021, एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा अरेरा कॉलोनी भोपाल** का भुगतान हेतु परिदत्त किया गया एवं अभियुक्त द्वारा जारी उक्त चेक परिवादी द्वारा विहित अवधि में उसके खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने

पर अभियुक्त **वंदना सिंह** के अनुरक्षित खाते में **"अपर्याप्त निधि"** होने के कारण अनादरित वापिस किया गया। परिणामतः विचारणीय प्रश्न क्र0—1 एवं 2 का निष्कर्ष **"प्रमाणित"** पाया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र0—3 व 4 का निष्कर्ष व आधार</u>—

38— साक्ष्य की श्रृंखला समान होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

39— **परिवादी बी.टी.राजानी (प0सा0—1)** ने अभिकथन किया है कि परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त राशि की मांग हेतु विधिक सूचना पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 19.08.2021 को अभियुक्त के निवास पर एवं व्यावसायिक पते पर प्रेषित कराया गया जो कि अभियुक्त को विधिवत रूप से दिनांक 25.08.2021 को प्राप्त हो गया था, जिसका अभियुक्त ने दिनांक 26.08.2021 को असत्य आधारों पर उत्तर भिजवाया था। इस प्रकार विधिक सूचना पत्र मिलने के बाबजूद भी अभियुक्त ने न तो विधिक सूचना पत्र का कोई जवाब दिया और न ही उक्त राशि का भुगतान किया। परिवादी ने उसके उपरोक्त कथनों के समर्थन में **मांग सूचना पत्र प्र0पी0—06 पोस्टल रसीद प्र0पी0—08 एवं 09** प्रस्तुत किये हैं, जिनसे परिवादी के कथनों की पुष्टि होती है।

40— परिवादी के द्वारा उक्त प्रकरण आरोपीगण के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। धारा 138 के अपराध के संबंध में चेक अनादरण के पश्चात परिवादी को मांग सूचना पत्र प्रेषित किया जाना आज्ञापक है। इसके संबधं में हस्तगत प्रकरण में भी परिवादी के द्वारा आरोपी को **प्र0पी0—06 का मांग सूचना पत्र** भेजा गया था। यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे कि आरोपी को **प्र0पी0—06 का मांग सूचना पत्र** प्राप्त नहीं हुआ था तब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **<u>सी0सी0 अलावी हाजी विरूद्ध पाला पेट्टी मोहम्मद (2007)6 एससीसी0 555</u>** के प्रकाश में यदि अभियुक्त न्यायालय द्वारा जारी किए गए समंस प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर

न्यायालय में प्रश्नाधीन चेक की राशि जमा करता है तब वह मांग सूचना पत्र की तामीली की वैधता या तामीली के तरीके पर प्रश्नचिन्ह कर सकता है। अभियुक्त की ओर से हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई राशि विहित समयावधि में जमा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार परिवादी की ओर से प्रस्तुत **मांग सूचना पत्र प्र0पी0—06** की वैधानिकता उसकी तामीली के तरीके पर कोई भी प्रश्नचिन्ह नहीं लगा सकता है।

41— अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उसे सूचना पत्र के संबंध में जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण द्वारा सूचना पत्र में उल्लेखित पते पर निवासरत् नहीं रहने के संबंध में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के सही पते पर सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में उसे सूचना पत्र नहीं मिलने या जानकारी नहीं होने का तथ्य मान्य किये जाने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप **विचारणीय प्रश्न क0—3 व 4 का निष्कर्ष प्रमाणित** पाये जाते हैं।

42— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रकट है कि अभियुक्त फहीम ने परिवादी से ली गयी राशि के दायित्व के अधीन उसके उन्मोचन हेतु अभियुक्त के अनुरक्षित खाते से देय प्रश्नगत **चेक (प्र0पी0—01)** परिवादी को प्रदान किया था। परिवादी द्वारा उक्त चेक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर प्रश्नगत चेक **"अपर्याप्त निधि"** की टीप के साथ अनादरित हुआ है, परंतु **"अपर्याप्त निधि"** के संबंध में कोई कारण अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह उपधारणा की जाये कि उक्त चेक भुगतान न किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था और कारण उचित व सदभाविक था। परिवादी द्वारा विहित समयावधि में चेक राशि अदायगी हेतु **सूचना पत्र (प्र0पी0—06)** अभियुक्त को निर्वहन के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा विहित

समयावधि में परिवादी को चेक राशि का भुगतान नहीं किया गया। फलतः अभियुक्त **वंदना सिंह** पर अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप प्रमाणित है तथा अभियुक्त **संजय सिंह** पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप प्रमाणित नहीं है। परिणामस्वरूप अभियुक्त **संजय सिंह** को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के तहत **दोषमुक्त** किया जाता है तथा अभियुक्त **वंदना सिंह** को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के तहत **दोषसिद्ध** किया जाता है।

43– अभियुक्त **वंदना सिंह** पर अधिरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम समन विचारणीय है। समन विचारणीय मामलों में निर्णय के समय अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनना आवश्यक नहीं है।

44– अभियुक्त **वंदना सिंह** के विरूद्ध समान प्रकृति की कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध आवश्यक रूप से कारावास की सजा से दंडनीय नहीं है परंतु परक्राम्य लिखत के बढ़ते हुये दुरूपयोग को देखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

45– समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत **चेक (प्र0पी0–01)** के अनादरण एवं नियत समय पर उक्त चेक का भुगतान परिवादी को न करने का दोषी मानते हुये अभियुक्त **वंदना सिंह आ. श्री संजय सिंह आयु–48 वर्ष, निवासी–म.नं. सी–09, काकड़ा अभिनव होम्स, नियर मिनाल होम्स, नियर मिनाल होम्स, अयोध्या बायपास, रोड, भोपाल म.प्र.** को **02 वर्ष** के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

46– **परिवादी वर्ष 2021 से 2026 के मध्य राशि कुल 14,92,188 / – रूपये (चौदह लाख बानवें हजार एक सौ अठासी रूपए)** के उपभोग करने से अभियुक्त के

उपरोक्त कृत्य के कारण वंचित और असमर्थ रहा है। वर्तमान में वाणिज्यिक संव्यवहारों में राशि के भुगतान की अधिकांश व्यवस्था चेकों के जरिये होने को देखते हुये एवं ऐसे संव्यवहारों की विश्वसनीयता को बनाये रखने तथा चेक अनादरण के कारण व्यथित पक्षकार को हुई आर्थिक हानि और असुविधा को देखते हुये परिवादी को चेक राशि के साथ ही **प्रतिकर** के रूप में उचित राशि दिलाया जाना यह न्यायालय न्यायोचित समझता है।

47— उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय न्यायदृष्टांत आर0 विजयन विरूद्ध बेबी (2012)1 एस0सी0सी0 260 के आलोक में धारा **357(3) दंड प्रकिया संहिता** के अंतर्गत **14,92,188 / — रूपये (चौदह लाख बानवें हजार एक सौ अठासी रूपए)** पर **9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज** की दर से **प्रतिकर राशि 21,63,600 / — रूपये (इक्कीस लाख तिरेसठ हजार छः सौ रूपए)** अपीलावधि पश्चात परिवादी को अदा करे। उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने की दशा में **01 माह का सश्रम कारावास** पृथक से भुगताया जाये व अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

48— परिवादी द्वारा किये गये व्यय आदि हेतु अभियुक्त द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 359 के प्रावधानों के अनुसार **5,000 / —रूपये** तथा **न्यायशुल्क 51,000 / — रू0 कुल 56,000 / —रूपए** अभियुक्त द्वारा परिवादी को अदा की जावेगी। उपरोक्त राशि अदा नहीं करने की दशा में अभियुक्त को **15 दिवस का साधारण कारावास** पृथक से भुगताया जावे व अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

49— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

50– अभियुक्त एवं प्रतिभू धारा–437–ए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों का पालन करें।

51– अभियुक्तगण के द्वारा निरोध मे व्यतीत की गई कालावधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का प्रमाण पत्र बनाया जावे व अभियुक्त **वंदना सिंह** का सजा वारंट तैयार किया जावे।

52– अभियुक्त **वंदना सिंह** को धारा 353 उपधारा–4 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे तथा निष्पादन लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **The Correspodence, RBANMS Educational Institution Vs B. Gunashekar & Another 2025 INSC 490 {CIVIL APPEAL NO.5200 of 2025 (Arising from SLP (C) No.13679 of 2022)}** के परिपालन में 2,00,000/–रूपए या उससे अधिक राशि के नगद संव्यवहार किये जाने के संबंध में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आयकर भवन होशंगाबाद रोड, भोपाल म.प्र. को एक सूचना भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरिक कर घोषित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।

(अंजली सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला भोपाल

(अंजली सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला भोपाल

परिशिष्ट

परिवादी / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची–

क–परिवादी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
परिवादी साक्षी क0–1	बी.टी.राजानी	परिवादी साक्षी

ख–प्रतिरक्षा साक्षी–निरंक

ग–न्यायालयीन साक्षी–निरंक

परिवादी / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची–

क–परिवादी प्रदर्श–

क0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र0पी0–01 लगायत 09 एवं प्र0डी001 लगायत 06 / प0सा0–01	चेक, जमा पर्ची, चेक रिटर्न मेमो, इकरारनामा, अभियुक्त को प्रेषित नोटिस, प्र0पी0–06 के नोटिस का जवाब, पोस्टल रसीद एवं वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, काउंटर क्लेम की प्रमाणित प्रतिलिपि, उक्त आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि, उक्त सिविल प्रकरण में उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 की प्रमाणित प्रतिलिपि, उनके द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0–05, काउंटर क्लेम के अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर की प्रमाणित प्रतिलिपि

ख–प्रतिरक्षा प्रदर्श–निरंक

ग—न्यायालयीन प्रदर्श—निरंक

(अंजली सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
भोपाल (म0प्र0)

ANJALI SINGH

Digitally signed by ANJALI SINGH
Date: 2026.08.03 17:48:36 +0530